कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांक :– स्था./2022/133

दिनांक :– 18/07/2022

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अधीन गृह विभाग, जयपुर, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा राजस्थान में साक्षियों के संरक्षण हेतु नवीन साक्षी संरक्षण स्कीम, 2020 लागू किये जाने के फलस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक Gen./XV/55/2018/1197 दिनांक 06.06.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में साक्षियों के संरक्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई हेतु इस जिले/न्यायक्षेत्र की स्थायी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैं :–

1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला।	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण।	सदस्य
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	सदस्य सचिव

उपर्युक्त स्कीम के तहत साक्षियों के संरक्षण हेतु प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों/दस्तावेज/आवेदन सदस्य सचिव के माध्यम से इस समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिस पर आवश्यक कार्रवाई एवं संरक्षण के उपाय इस अधिनियम के तहत नियमानुसार उपरोक्त स्थाई समिति द्वारा पारित आदेश द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे।

Sd

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

क्रमांक :– स्था./2022/2072

दिनांक :– 18/07/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त न्यायालय जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र..।
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण।
4. सहायक निदेशक अभियोजन, अभियोजन विभाग, जोधपुर।
5. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित पत्रावली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जोधपुर जिला 18/07/2022